महत्वपूर्ण

संख्या-118/2022/ 2610/**26-3-2022-1514/2016**

प्रेषक,

डॉ0 हरिओम,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, **2022**

विषयः-मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को नि:शुल्क साक्षात प्रशिक्षण /आनलाइन प्रशिक्षण /सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-112/2022/2441/26-3-2022-1514/2016, दिनांक-18.10.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को नि:शुल्क साक्षात प्रशिक्षण /आनलाइन प्रशिक्षण /सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत शासनादेश संख्या-112/2022/2441/26-3-2022-1514/2016, दिनांक-18.10.2022 के माध्यम से जारी किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत मुख्य मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016, दिनांक-06.02.2021, शासनादेश संख्या-150/2021/ 3424/26-3-2021-1514/2016 टी0सी0-।।, दिनांक-17.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-41/2022/714/ 26-3-2022-1514/2016 टी0सी0-।।, दिनांक-20.04.2022 को अवक्रमित समझा जायेगा एवं सन्दर्भगत योजना का क्रियान्वयन संगत शासनादेश दिनांक-18.10.2022 के उपबन्धों में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

भवदीय

डॉ0 हरिओम

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-118 /2022/2610(1)/26-3-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

4-अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

5-महानिदेशक, उपाम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

7-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।

9-अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10-श्रीमती रौशन जैकब, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

11-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

12-प्रधान वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।

13-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

14-श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महनिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।

15-निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगज सशक्तिकरण, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

16-निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान लखनऊ।

17-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।

18-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

19-समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

20-संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, समाज कल्याण विभाग।

21-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।